




आदर्श कुमार
सागर से २९-९-१५
का प्राप्त।
29-9-14

21 अक्टूबर २०१५ को प्राप्त साहू, २०१५
न्यायालय- श्रीमान अश्व लक्ष्मीनारायण, तहसील सम्मत, सागर मोदी=

प्रकरण क्र०- R-3457- २१५ सन्

B.O.R.

25 SEP 2014



आदर्श कुमार द्विदी तनय उमेश कुमार द्विदी, आयु करीब 12 वर्ष
नाबालिंग वली सरपरत्त पिता- उमेश कुमार द्विदी तनय गोपीनाथ
उर्फ गोपीनंदन द्विदी, आयु 42 साल, निवासी- पहरा, तहसील-
गौरिहार, जिला छतरपुर मोदी

..... आवेदक.

// बनाम //

1. विश्वमूर्ति तनय रामकृष्णपाल द्विदी
 2. विश्वदीप तनय नंदकिशोर द्विदी,
- दोनों निवासी- ग्राम पहरा, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर मोदी

..... अनावेदक.

आवेदन पत्र वास्ते निगरानी व निरस्ती आदेश दिनांक-
19.06.2012, न्यायालय अपर जिलाध्यक्ष महोदय छतरपुर
मोदी जो प्रकरण क्र०-200/अपील/09-10 आदर्श कुमार विलम्ब
विश्वमूर्ति व स्क अन्य, में पारित.

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 मोदी प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निम्नलिखित विनय प्रस्तुत है :-

1. यह कि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि, निगरानीकर्ता के पक्ष में तहसीलदार गौरिहार द्वारा प्र० क्र०- 16/अ-6/ 2007-08 आदेश दिनांक- 16.2.2008 के द्वारा मृतका सुमित्रा के स्वामित्व की भूमि कुल किता-11 स्कत्र रखवा 12.850 सहखाते की भूमि का नामान्तरण वसीयत

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3457—एक / 2014

जिला-छतरपुर

आर्दश कुमार द्विवेदी विरुद्ध विश्वमूर्ति व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
२-०८-२०१९	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 200/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 19-06-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-09-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>  